(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 138 **नई दिल्ली**, 30 अप्रैल 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एततद्वारा मशीनीकृत उर्वरक प्रहस्तन सुविधाओं के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारित करते हुए इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश सं. टीएएमपी / 26/2009-वीपीटी दिनांक 27 नवम्बर 2009 के संदर्भ से पूरक प्रशुल्क का अनुमोदन और भंडारण प्रभार की समीक्षा मांगते हुए विशाखापत्तनम पत्तन न्यास द्वारा दाखिल किए गए आवेदन को इसके साथ संलग्न आदेशों के अनुसार निपटाता है ।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/26/2009-वीपीटी

विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास ------- आवेदक

आ दे श

(मार्च 2010 के 31 वें दिन पारित)

यह प्रकरण, विशाखात्तनम् पत्तन न्यास (वीपीटी) में मशीनीकृत उर्वरक प्रहस्तन सुविधाओं के लिए निर्धारित अपफ्रंट प्रशुल्क से संबंधित आदेश सं. टीएएमपी / 26 / 2009-वीपीटी दिनांक 27 नवंबर 2009 के संदर्भ से, जो भारत का राजपत्र में, राजपत्र सं. 251 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था, पूरक प्रशुल्क का अनुमोदन और भंडारण प्रभार की समीक्षा मांगते हुए विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास से प्राप्त दिनांक 12 मार्च 2010 के आवेदन से संबंधित है।

2.1 विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास (वीपीटी) ने, दिनांक 27 नवंबर 2009 के आदेश के माध्यम से इस प्राधिकरण द्वारा तय किए गए अपफ्रंट प्रभारों की समीक्षा मांगते हुए दिनांक 12 मार्च 2010 के पत्र द्वारा एक अभ्यावेदन दाखिल किया है। इस संबंध में 17 मार्च 2010 को वीपीटी परिसर में वीपीटी के लिए सुनवाई आयोजित की गई थी।

2.2 सुनवाई में वीपीटी ने निर्धारित भंडारण प्रभार के संदर्भ से प्रशुल्क आदेश में कोई स्पष्ट दोष उजागर नहीं कर सका। भंडारण प्रभार की समीक्षा के लिए अनुरोध, टर्मिनल में उर्वरकों के दीर्घकालिक भंडारण को रोकने के लिए था। प्रस्तुत किए गए बिंदुओं की दृष्टि से पत्तन को प्रदत्त भंडारण प्रभार में संशोधन के लिए उपयुक्त प्रस्ताव लेकर आने की अनुमति दी गई। इससे, 27 नवंबर 2009 के प्रशुल्क आदेश में पहले से निर्धारित वार्षिक राजस्व आवश्यकता का उल्लंघन नहीं करता।

2.3 वीपीटी ने यह भी उल्लेख किया था कि कार्गो बैगिंग प्लांट से वैगनों तक थैलों / बोरियों के मानवीय लदान के लिए श्रमिक-लागत, इसके पिछले प्रस्ताव में मौजूद नहीं था और इसलिए, पत्तन इस मद के लिए भी अपफ्रंट प्रशुल्क को अनुमोदित करवाना चाहता था। वीपीटी को सलाह दी गई थी कि वह इस मद के लिए आवश्यक औचित्य के साथ भली भांति विश्लेषित प्रस्ताव लेकर आए।

3. इस पृष्ठभूमि में वीपीटी ने पत्र से. आईआरएनपी / एसटीडीएस / ईक्यू-7-मैक / टैरिफ / 2010 दिनांक 25 मार्च 2010 के माध्यम से कथित आदेश में निर्धारित भंडारण प्रभार की समीक्षा के लिए प्रस्ताव दाखिल किया है और थैलाबंद कार्गो लाने-ले जाने हेतु मानवीय श्रम अवयव के लिए पूरक प्रशुल्क का अवयव मांगा है। वीपीटी द्वारा रखी गई प्रमुख बातें संक्षेप में निम्नानुसार है :-

(i) भंडारण प्रभार

(क) संभावित बोली दाताओं का अनुरोध है कि या तो भंडारण प्रभार बढ़ाइए या निःशुल्क अवधि 5 दिन से घटाकर 2 दिन कर दी जाए। प्रस्ताव की जांच पड़ताल करने के बाद महसूस किया गया है कि निःशुल्क अवधि घटाने की बजाय राजस्व भाग प्रभाजन 2% बढाकर जैसाकि पिछले संशोधित प्रस्ताव में वीपीटी द्वारा प्रस्तावित किया गया है, भंडारण प्रभार बढ़ा दिया जाए।

(ख) इसने अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारित करते समय प्रहस्तन गतिविधि के लिए 98% भंडारण प्रभार पर 1% और विविध पर 1% की बजाय प्रहस्तन गतिविधि की मद में अनुमानित राजस्व आवश्यकता का प्रभाजन पर 96% भंडारण प्रभार पर 2% और विविध के लिए 2% विचार करने का अनुरोध किया है।

(ग) दूसरे पायदान के लिए भंडारण प्रभार कुछ ऊंचा ही रखा जाए ताकि भंडारण निःशुल्क अवधि से आगे उपयोग करते समय यह प्राप्त कर्त्ताओं के लिए अवरोधक का काम कर सके।

(ii) थैला बंद उर्वरक के मानवीय प्रहस्तन के लिए प्रस्तावित नई प्रशुल्क मद:

(क) उर्वरक प्रहस्तन में, थैलों में भरने और थैलों का मुंह सीने के बाद थैलों के मानवीय प्रहस्तन का अवयव है। सीये हुए थैलों को गोदाम / रेल प्लेटफार्म में मजदूरों द्वारा ढेर लगाने की और उन्हें पुनः रेल्वे वैगनों या ट्रकों में ढेर लगाने और लादने की आवश्यकता है। थैले में भरने और उन्हें सीने के बाद यह एक प्रमुख मानवीय श्रम अवयव है जिसको इस प्राधिकरण द्वारा दिनांक 27 नवंबर 2009 के आदेश के माध्यम से निर्धारित अपफ्रंट प्रशुल्क में स्वीकार नहीं किया गया है।

(ख) थैलों में भरने और उन्हें सीने के लिए प्रशुल्क में किया गया 5 % का प्रावधान जो लगभग 2.36 करोड़ रूपये है, केवल वेतन अवयव, प्रबंधल और सामान्य प्रशासन कंप्यूटर का अनुरक्षण, थैलों में भरने और उन्हें सीने संबंधी सेवाओं के लिए विविध लागत इत्यादि को ही समाहित करेगा और मानवीय प्रहस्तन पर किए गए व्यय की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

(ग) सामान्य रूप से, उर्वरकों के मानवीय प्रहस्तन प्रचालनों के लिए प्रशुल्क सेवा प्रदाताओं द्वारा थैलों / बोरों के आधार पर प्रभारित किया जाता है। इसके अलावा यह विभिन्न प्रहस्तन एजेन्टों की मोल भाव करने की शक्ति पर निर्भर करता है और रू. 59/- से रू. 90/- प्रतिटन हो सकता है। ऐसी सेवाओं के लिए श्रमिकों की तैनाती और समान सेवाओं के लिए श्रमिकों की तैनाती के लिए पत्तन पर न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार देय श्रमिक की यूनिट लागत के विश्लेषण के आधार पर श्रम-लागत रू. 34.07 प्रतिटन अनुमानित की गई है। वीपीटी द्वारा प्रस्तावित श्रमिक लागत का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	मानवीय प्रचालन	दर (रू./टन)
1.	कन्वेयर / शूट (ढलान) से भंडारण क्षेत्र तक थैले ले जाना	14.52
2.	प्लेटफार्म / चबूतरे से उतारना, वैगनों तक ले जाना और थैलों को अपेक्षित संख्या में वैगनों तक ले जाना और उन्हें वैगनों में लादना तथा वैगनों को सील बंद करना ।	12.72
3.	वैगनों की सफाई करना, वैगनों के फर्श पर डुमेज से लाइन खींचना तथा अन्य सेवाएं	4.60
4.	प्रशासकीय लागत	2.23
	कुल	**34.07**

(iii) तदनुसार, कार्गो को थैलाबंदी संयंत्र (बैगिंग प्लांट) से वैगत तक ले जाने, वैगन को सफाई करने इत्यादि श्रमिक सेवाओं की मद में रू. 34.07 प्रतिट टन का पूरक प्रशुल्क पत्तन द्वारा प्रस्तावित है ।

4. जैसा कि पहले बताया जा चुका है, नवंबर 2009 के प्रशुल्क आदेश में पत्तन द्वारा किसी त्रुटि को उजागर नहीं किया गया जिसके कारण कथित आदेश की समीक्षा की आवश्यकता हो । भंडारण प्रभार में वृद्धि की मांग करने वाला वीपीटी का प्रस्ताव कथित आदेश में विभिन्न कार्यकलापों के बीच निर्धारित वार्षिक राजस्व आवश्यकता का पुन: वितरण मांगता है । इसके परिणामस्वरूप, नवम्बर 2009 के प्रशुल्क आदेश में निर्धारित वार्षिक राजस्व आवश्यकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा । थैलाबंदी संयंत्र से वैगनों तक थैले जे जाने के लिए अभी प्रस्तावित श्रमिक प्रभारों के बारे मे्, यह एक अतिरिक्त मद है जो पिछले प्रस्ताव में शामिल नहीं की गई थी ।

5.1. यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि कथित आदेश में इस प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त नि:शुल्क दिनों की संख्या और भंडारण पायदान पत्तन द्वारा दाखिल संशोधित प्रस्ताव दिनांक 11 नवम्बर 2009 पर आधारित थे । किया गया एकमात्र परिवर्तन पत्तन द्वारा आबंटित 2% की बजाय कुल अनुमानित राजस्व आवश्यकता का 1% भंडारण प्रभार की मद में प्रभाजन था जो उर्वरक टर्मिनल के लिए मार्गदर्शियों में निर्धारित किसी भी मानदंड के अभाव में कोयला टर्मिनलों के लिए प्रदत्त मॉडल पर आधारित है ।

5.2. पत्तन ने भंडारण प्रभार की समीक्षा करने और उसमें वृद्धि करने का अनुरोध किया है ताकि यह कार्गो के लम्बे समय के लिए भंडारण में अवरोधक का काम कर सके । इस प्रयोजन के लिए इसने 27 नवम्बर 2009 के प्रशुल्क आदेश में अनुमानित रू. 6797.17 लाख की कुल वार्षिक राजस्व आवश्यकता में कोई परिवर्तन किए बिना, निर्धारित वार्षिक आवश्यकता को कथित आदेश में इस प्राधिकरण द्वारा आबंटित कार्गो प्रहस्तन के लिए 98% भंडारण और विविध प्रभारों में से प्रत्येक के लिए 1% की तुलना में कार्गो प्रहस्तन के लिए 96%, भंडारण और विविध प्रभारों में से प्रत्येक के लिए 2% प्रभाजित करने का सुझाव दिया है ।

5.3 चूंकि पत्तन का प्रस्ताव मुख्य रूप से टर्मिनल में उर्वरक के लम्बे समय के लिए भंडारण को रोकना है जिससे टर्मिनल के लिए आकलित इष्टतम क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और यह भी स्वीकार करते हुए कि कुल निर्धारित राजस्व आवश्यकता और पिछले आदेश में प्रदत्त नि:शुल्क अवधि का (यदि) पत्तन के प्रस्ताव द्वारा नहीं बदला जाता है तो अपफ्रंट भंडारण प्रभारों में प्रस्तावित संशोधन पर विचार किया जा सकता है । कथित आदेश में निर्धारित कार्गो प्रहस्तन प्रभारों (थैले बंदी छोड़कर) में से रू. 6797.17 लाख की कुल वार्षिक राजस्व आवश्यकता का कंपोज़िट कार्गो प्रहस्तन प्रभार के लिए 97% और भंडारण प्रभार के लिए 2% का पुन: आबंटन किया जाता है । विविध प्रभारों के लिए 1% आबंटन को परिवर्तित नहीं किया गया है ।

5.4 27 नवम्बर 2009 के प्रशुल्क आदेश में अपनाई गई कार्यविधि का अनुसरण करते हुए संशोधित भंडारण प्रभार प्रति टन प्रतिदिन (5 दिन की नि:शुल्क अवधि के बाद) पहले पायदान (स्लैब) (अर्थात पहले 5 दिन) के लिए रू. 1.30 प्रति टन पर निर्धारित किया गया है । बाद के दो पायदानों (स्लैबों) के लिए दर, टर्मिनल में कार्गो के लम्बे समय तक भंडारण को हतोत्साहित करने के पत्तन के सरोकार को साधते हुए, पहले पायदान की दर के क्रमश: तीन गुना और पाँच गुना निर्धारित की गई है । इससे भंडारण क्षेत्र के बेहत्तर उपयोग को सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी । ऐसा करते समय, यह प्राधिकरण पत्तन से अपेक्षा करता है कि वह टर्मिनल से कार्गो की रवानगी के लिए आवश्यकता लदान एवं परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करे ।

अनुमानित राजस्व के संशोधित आबंटन के परिणामस्वरूप सम्मिश्रण (कंपोज़िट) प्रहस्तन प्रभार कथित आदेश में निर्धारित रू. 127.85 प्रति टन की तुलना में रू. 126.55 प्रति टन निर्धारित हो जाता है । अपफ्रंट प्रशुल्क का संशोधित विवरण **परिशिष्ट-1** में संलग्न है ।

6. यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि अपफ्रंट प्रशुल्क के निर्धारण के लिए इस प्राधिकरण द्वारा विचार किए गए पिछले प्रस्ताव में पत्तन द्वारा, थैलाबंदी संयंत्र से वैगनों तक सिले हुए थैलों के मानवीय प्रहस्तन के लिए कोई श्रमिक लागत प्रस्तावित नहीं की गई थी । पत्तन द्वारा परिकल्पित सेवाओं के लिए मानवीय श्रम का अनुमान लगाने के लिए मर्गादर्शियों में कोई मानदंड / मापदंड नहीं दिया गया है । मार्गदर्शियों में किसी विशिष्ट मानदंड के अभाव में पत्तन द्वारा निर्धारित श्रमिक तैनाती प्रारूप के आधार पर पत्तन ने रू. 34.07 प्रतिटन श्रम लागत निर्धारित की है । चूंकि इस तत्व / अवयव को अपरिहार्य प्रचालनीय आवश्यकता बताया गया है, उसकी लागत को समाहित करने हेतु ऐसे प्रचालन के लिए एक प्रभार निर्धारित करना आवश्यकता है । गणना में शामिल की गई प्रति घंटा श्रम-लागत आंधप्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम में प्रदत्त दर पर आधारित है । पत्तन ने बताया है कि समान श्रमिक सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी प्रचालकों द्वारा प्रदत्त दर, पत्तन द्वारा विचारित यूनिट दर से कहीं ज्यादा हैं । पत्तन द्वारा प्रस्तुत औचित्य और गणना के आधार पर प्रस्तावित दर अनुमोदित की जाती है ।

अनुमोदित श्रम-लागत थैलाबंदी संयंत्र (बैगिंग प्लांट) की सेवाएं लेने वाले थैलाबंद कार्गो पर ही लागू है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनायास भी यह अनुमोदित दर किसी ऐसे अन्य कार्गो पर लागू नहीं होती है जो थैलाबंदी संयंत्र की सेवाएं नहीं ले रहा है । रू. 34.07 प्रतिटन के श्रम अवयव को थैले भरने और उन्हें सीने संबंधी सेवाओं के लिए पहले से निर्धारित रू. 76.46 टन प्रति टन में मिला देना उचित पाया गया है ।

तदनुसार, थैलाबंद करने और सीने संबंधी सेवा के प्रभार परिवर्तित किए जाते हैं और रू. 110.53 प्रतिटन पर निर्धारित किए जाते हैं। यह बताते हुए एक नोट (टिप्पणी) भी दिया गया है कि निर्धारित अपफ्रंट प्रशुल्क केवल बैगिंग प्लांट की सेवाएं लेने वाले कार्गो पर ही लागू होगा और इसके अन्तर्गत थैलाबंद और उन्हें सीने संबंधी सेवा कन्वेयर / शूट से भंडारण क्षेत्र तक थैले ले जाने के लिए श्रम-लागत, प्लेटफार्म से थैले उतारना, अपेक्षित संख्या में थैलों को वैगनों तक ले जाना और उन्हें वैगन में लादना, वैगनों को सील बंद करना, वैगनों की सफाई करना, वैगन के फर्श पर डुनेज से रेखाएं खींचना तथा अन्य संबंधित सेवाएं आती हैं।

7. परिणाम स्वरूप, और ऊपर दिए गए कारणों से तथा समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण, आदेश सं. टीएएमपी / 26 / 2009-वीपीटी दिनांक 27 नवंबर 2009 में प्रशुल्क अनुमोदित संबंधित अनुसूची में संशोधन को अनुमोदन प्रदान करता है जैसाकि **परिशिष्ट -II** में दिया गया है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

परिशिष्ट-I

विशाखापत्तनम् पत्तन न्यस में मशीनीकृत उर्वरक प्रहस्तन सुविधाओं के लिए आदेश से. टीएएमपी / 26 / 2009-वीपीटी दिनांक 27 नवंबर 2009 के माध्यम से इस प्राधिकरण द्वारा पारित संशोधित अपफ्रंट प्रशुल्क गणना

(लाख रू. में)

क्र. सं.	विवरण	27 नवंबर 2009 के प्रशुल्क आदेश में शामिल अनुमान	संशोधित स्थिति
I	<u>कार्गो प्रहस्तन गतिविधि (थैलाबंदी संयंत्र के अलावा) के लिए अनुमानित राजस्व आवश्यकता और अपफ्रंट प्रशुल्क</u>		
	कार्गो प्रहस्तन सेवाके लिए (थैलाबंदी संयंत्र छोड़कर) राजस्व आवश्यकता जैसीकि 27 नवंबर 2009 के प्रशुल्क ओदश में निर्धारित है, क्रम सं. IV (i) (ग)	6797.17	6797.17
II	<u>राजस्व आवश्यकता का प्रभाजन / बंटवारा (एआरआर)</u>		
	(क) कार्गो प्रहस्तन प्रभार (27 नवंबर 2009 के प्रशुल्क ओदश में 98% स्वीकार किए गए) (परिवर्तित गणना में इसे एआरआर का 97% स्वीकारा गया है)	6661.23	6593.26
	(ख) भंडारण प्रभार (27 नवंबर 2009 के प्रशुल्क आदेश में 1% स्वीकारा गया है) (परिवर्तित गणना में इसे एआरआर का 2% लिया गया है)	67.97	135.94
	(ग) विविध प्रभार (एआरआर का 1%)	67.97	67.97
	(घ) कार्गो प्रहस्तन गतिविधि के लिए कुल राजस्व आवश्यकता	**6797.17**	**6797.17**
III	<u>कार्गो प्रहस्तन प्रभार (थैलाबंदी संयंत्र छोड़कर)</u>		
	(क) कार्गो प्रहस्तन प्रभार		
	-राजस्व आवश्यकता (लाख रू पयों में)	6661.23	6593.26
	-क्षमता (दस लाख टन प्रतिवर्ष)	5.21	5.21
	-सम्मिश्र (कंपोजिट) प्रहस्तन प्रभार रू. प्रतिटन (विदेश) (थैला भरने और उन्हें सीने संबंधी सेवा छोड़कर)	127.85	126.55
	(ख) भंडारण प्रभार		
	-राजस्व आवश्यकता (लाख रू. में)	67.97	135.94
	-कार्गो का % जिस पर भंडारण प्रभार लगेगा	40%	40%
	-कार्गो की कितनी मात्रा पर भंडारण प्रभार लगेगा (लाख टन में)	20.84	20.84
	(i)निःशुल्क अवधि (आयात)	5 दिन	5 दिन
	(ii) भंडारण प्रभार (निःशुल्क अवधि के बाद)	दर प्रतिटन प्रतिदिन अथवा उसके हिस्से का	दर प्रतिटन प्रतिदिन अथवा उसके हिस्से का
	-पहले पांच दिन	0.65	1.30
	-6टे दिन से 10 वें दिन तक	0.98	3.90
	-11 वें दिन और आगे	1.30	6.50
	(ग) विविध प्रभार		
	-राजस्व आवश्यकता (लाख रू पयों में)	67.97	67.97
	-क्षमता (मात्रा) (दस लाख टन प्रतिवर्ष)	5.21	5.21
	-विविध प्रभार प्रतिटन	1.30	1.30

परिशिष्ट -II

प्रशुल्क आदेश सं. टीएएमपी / 26 / 2009 -वीपीटी दिनांक : 27 नवंबर 2009 में प्रदत्त वर्तमान अनुसूची 2 और 3 की जगह निम्नलिखित को लाया गया है :

2. कार्गो प्रहस्तन प्रभार :

(क) **सम्मिश्र प्रहस्तन प्रभार** (थैलाबंदी और सिलाई सेवाएं छोड़कर)

क्र. सं.	वस्तु / जिंस	यूनिट	दर रूपयों में	
			विदेशी	तटीय
(क)	पोटाश के म्यूरिएट समेत तैयार उर्वरक	प्रति मीटरिक टन	126.55	75.93

नोट :-

ऊपर प्रदत्त प्रहस्तन प्रभार पोत से कार्गो को उतारने के लिए सम्मिश्र (कंपोजिट) प्रभार हैं जिसमें स्टीवेडोरिंग और उस कार्गो को भंडारण स्थल तक ले जाना, भंडारण क्षेत्र / सिलोज़ में पांच दिनों की निःशुल्क अवधि तक भंडारण और उस कार्गो को ट्रकों / रेलवे वैगनों पर लादना / चढ़ाना शामिल है। इस सम्मिश्र प्रभार में पोतघाट शुल्क और आवश्यक होने पर श्रमिकों की आपूर्ति औरवे सभी विविध प्रभार भी शामिल हैं जिनका विशिष्ट रूप से दरमान में उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें थैलाबंदी और थैलो का मुंह सीने संबंधी सेवाएं समाहित नहीं हैं जिनके लिए अनुसूची में अलग प्रशुल्क प्रदान किया गया है :-

(ख) **थैला बंदी और उनकी सिलाई संबंधी सेवाएं :-**

क्र. सं.	वस्तु / जिंस	यूनिट	दर रूपयों में
			विदेशी और तटीय
(क)	पोटाश के म्यूरिएट समेत तैयार उर्वरक	प्रति मीटरिक टन	110.53

नोट :-

ऊपर प्रदत्त प्रभार केवल थैलाबंदी संयंत्र पर प्रहस्तित कार्गो पर ही लागू है और इसके अन्तर्गत थैलाबंदी और उन्हें सीने संबंधी सेवा, थैलों को कन्वेयर / शूट से भंडारण क्षेत्र को ले जाने हेतु श्रम लागत, प्लेटफार्म से थैले उतारना उन्हें वैगनों तक ले जाना और अपेक्षित संख्या में थैलों को वैगनों में चढ़ाना, वैगनों को सील-बंद करना, वैगनों को साफ करना, वैगनों के फर्श पर ड्यूनेट से रेखाएं खींचना और अन्य संबंधित सेवाएं शामिल हैं।

3. **भंडारण प्रभार :-**

भंडारण क्षेत्र में निःशुल्क अवधि के बाद भी भंडारित कार्गो के लिए भंडारण प्रभार निम्नानुसार होंगे :-

(क) **निःशुल्क अवधि**

आयात कार्गो - 5 दिन निःशुल्क

(ख) **निःशुल्क अवधि के बाद भंडारण प्रभार** (प्रतिटन / प्रतिदिन)

ब्यौरा	दर रू. में - प्रतिटन प्रतिदिन
निःशुल्क अवधि के बाद पहले पांच दिन तक	1.30
निःशुल्क अवधि के बाद 6टे दिन से 10 वें दिन तक	3.90
दसवें दिन से आगे	6.50

नोट्स :-

(i) निःशुल्क अवधि की गणना में सीमाशुल्क अधिसूचित छुट्टियां और टर्मिनल अकार्य दिवसों को नहीं गिना जाएगा।

(ii) आयात कार्गो के लिए निःशुल्क अवधि की गणना, पोत से कार्गो की अंतिम उतराई पूर्ण होने के अगले दिन से आरंभ होगी।

(iii) कार्गो पर भंडारण प्रभार उस अवधि के लिए नहीं लगेगा जिस अवधि में टर्मिनल का प्रचालक उन कारणों से जिनके लिए टर्मिनल आपरेटर जिम्मेदार है कार्गो की सुपुर्दगी देने में था उसे वाहन पर लादने में असमर्थता व्यक्त कर दे।